न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, **IAS**
प्रकरण संख्या –22 / 2024 (प्रार्थना पत्र 6ए)
जीसीएमएस नं0 2024 / 210

सरकार जरिये प्रतिभा मेघवाल, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सांगोद,जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

M/S Agri Tech India Organic, Ahemdabad-Vadodara,Express Highway,Nr Vasad, Distt. & Tehsil Anand, Gujrat

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित उर्वक नियन्त्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 19(ए)

उपस्थित :–

1. विभागीय प्रतिनिधि पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–10.03.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री प्रतिभा मेघवाल, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल) द्वारा अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है दिनांक 12.11.2024 को श्री मोहन लाल पुत्र श्री रामनारायण मीणा ग्राम मालीहेडा ग्राम पंचायत विनोदखुर्द, के बाडे में M/S Agri Tech India Organic, Ahemdabad-Vadodara, Express Highway, Nr Vasad, Distt. & Tehsil Anand, Gujrat द्वारा पैकिंग एवं विपणित Career Based Consortia क 88 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) Dhanzyme Neem Granuals के 41 बैग (प्रत्येक 10 किलोग्राम) भण्डारित मिले । मौके पर पहुंचकर वहां उपस्थित कम्पनी के सर्विसमेन श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री शिव चरण मीणा निवासी ग्राम हनोतिया, मिर्जापुर, जिला बारां द्वारा मैसर्स श्रीजी सीड्स एण्ड पेस्टीसाईड्स अपोस्टि राम मंदिर, तेल फेक्ट्री, झालावाड रोड बारां से कय कर उपरोक्त उर्वरक का बेचान किया जा रहा था । गुणवत्ता की जांच हेतु M/S Agri Tech India Organic, Ahemdabad- Vadodara, Express Highway, Nr Vasad, Distt. & Tehsil Anand, Gujrat द्वारा पैकिंग एवं विपणित बायो एनपीके Career Based Consortia (Granuals) उर्वरक के बैच संख्या 001 के कोड संख्या 2024–25 / PAM/F/01 के नमूना लिया गया परन्तु Dhanzyme Neem Granuals एफसीओ उत्पाद नहीं होने के कारण नमूना आहरण नहीं किया गया । उक्त नमूने को गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यालय के पत्रांक / 1909 दिनांक 19.11.2024 द्वारा राज्य जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर को जरिये कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री पृथ्वीराज सिंह एवं कृषि अन्यवेक्षक श्री संदीप कुमार के साथ भेजा गया । Sale of Fertilizer without of obtaining Certificate of Registration, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 7, Sale of Fertilizer without issue cash/credit memo in Form-m उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 28(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में Career Based Consortia क 88 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) Dhanzyme Neem Granuals के 41 बैग (प्रत्येक 10 किलोग्राम) जब्त कर जब्तीनामें की एक प्रति विक्रेता जो बेचान कर रहा था, को देकर प्राप्ति ली । जब्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान श्री डॉ नरेश कुमार शर्मा, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्या. सहायक निदेशक कृषि (वि.) सांगोद श्री जुगल

जिला कलक्टर
कोटा

किशोर, कृषि अधिकारी सामान्य कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद कोटा श्रीमति दीपिका मीणा, सहायक कृषि अधिकारी द्वितीय कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सांगोद, जिला कोटा, श्री रामस्वरूप नागर, सहायक कृषि अधिकारी प्रथम कार्यालय सहायक निदेशक कृषि अधि विस्तार सांगोद, श्री इनायत अली, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद एवं श्री निर्मल मीणा, कृषि पर्यवेक्षक, मु0 विनोदखुर्द कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सांगोद, जिला कोटा उपस्थित थे । मौके पर जब्ती की कार्यवाही का मौका पर्चा तैयार किया गया । जब्तशुदा उर्वरक को सांगोद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 के व्यवस्थापक श्री पंकज जांगीड़ को पत्र क्रमांक/01 दिनांक 12.11.2024 द्वारा सुपुर्द कर संस्था के गोदाम में सुरक्षित रखवाया गया । इस प्रकार परिवादी संख्या 1 ने अवैध उर्वरक का कारोबार कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 19(सी)(6) FCO के अनुच्छेद 7 एवं FCO के अनुछेद 5 का उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 एवं 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । अतः जब्तशुदा माल राजसात कराना फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी को तामिल हो चुका है किन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि पेरोकार को सुना गया । ।

3. प्रार्थी पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 12.11.2024 को श्री मोहन लाल पुत्र श्री रामनारायण मीणा ग्राम मालीहेडा ग्राम पंचायत विनोदखुर्द, के बाडे में अप्रार्थी फर्म M/S Agri Tech India Organic, Ahemdabad- Vadodara, Express Highway, Nr Vasad, Distt. & Tehsil Anand, Gujrat द्वारा पैकिंग एवं विपणित Career Based Consortia क 88 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) Dhanzyme Neem Granuals के 41 बैग (प्रत्येक 10 किलोग्राम) भण्डारित मिले, मौके पर पहुंचकर वहां उपस्थित कम्पनी के सर्विसमेन श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री शिव चरण मीणा निवासी ग्राम हनोतिया, मिर्जापुर, जिला बारां द्वारा मैसर्स श्रीजी सीड्स एण्ड पेस्टीसाईड्स अपोस्टि राम मंदिर, तेल फेक्ट्री, झालावाड रोड बारां से क्रय कर उपरोक्त उर्वरक का अवैधानिक रूप से बिना कोई लाईसेंस एवं सक्षम स्वीकृति के बेचान किया जा रहा था । जिसे जब्त सरकार किया गया है । जब्तशुदा माल को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें ।

4. हमने विभागीय पेरोकार को सुना । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा माल Career Based Consortia क 88 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) Dhanzyme Neem Granuals के 41 बैग (प्रत्येक 10 किलोग्राम) आवश्यक वस्तु होने से तथा अप्रार्थी द्वारा बिना कोई सक्षम दस्तावेज के अवैधानिक रूप से बैचान किया जाने से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 19(सी)(6) FCO के अनुच्छेद 7 एवं FCO के अनुछेद 5 का उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 एवं 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा माल Career Based Consortia क 88 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) Dhanzyme Neem Granuals के 41 बैग (प्रत्येक 10 किलोग्राम) राजसात (Confiscat) किया जाता है । निर्णय की प्रति सहायक निदेशक कृषि रितार सांगोद को भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया ।

6. निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा